न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 05/2019
दायर दिनांक :– 22–02–2019
निर्णय दिनांक :– 29–11–2019

अनवान

श्री गिरधारी पिता श्री रूपा जी सालवी, उम्र 61 वर्ष, पेशा खेती, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

–––––निगराकार

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता श्री भूरा जी, जाति रेगर, उम्र 40 वर्ष, निवासी नाथुवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री छगन पिता श्री भूरा जी, जाति रेगर, उम्र 45 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री माधु पिता श्री भूरा जी, जाति रेगर, उम्र 38 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती रतनी पत्नी श्री रोशनलाल जी, जाति रेगर, उम्र 38 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती दाकु पत्नी श्री छगन जी, जाति रेगर, उम्र 42 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती शानु पत्नी श्री माधु जी, जाति रेगर, उम्र 35 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्री नारायणलाल पिता श्री भूरा जी, जाति रेगर, उम्र 55 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्री शम्भुलाल पिता श्री भूरा जी, जाति रेगर, उम्र 50 वर्ष, निवासी नाथूवास, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
9. ग्राम पंचायत फियावड़ी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
10. ग्राम पंचायत फियावड़ी जरिये सचिव, ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

–– गैर निगराकार

विरूद्व निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पट्टा संख्या 892 दिनांक 11/09/1986 जारी द्वारा ग्राम पंचायत फियावड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द

उपस्थित :–

1– श्री आर.एल. रावत, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगराकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । उक्त प्रकरण में निगराकार को ग्राम पंचायत फियावड़ी ने दिनांक 02/11/1981 को आबादी भूमि का पट्टा जारी करते हुए निगराकार के पट्टे के उत्तर दिशा की रास्ते का अंकन करते हुए निगराकार को पट्टा जारी किया हैं एवं वही ग्राम पंचायत जो गैर निगराकार संख्या 9 व 10 हैं, जिसके द्वारा तथाकथित पट्टा दिनांक 11/09/1986 पट्टा संख्या 892 में निगराकार के पट्टे में उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता बता रखा हैं, उस आम रास्ते में तथाकथित पट्टा विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता के नाम पर गैर निगराकार संख्या 9 व 10 द्वारा जारी करना बताकर पट्टा का उल्लेख किया हैं, जबकि रास्ते की भूमि में कोई भी संस्था अथवा ग्राम पंचायत अथवा स्वायत्त शासित संस्था किसी को भी पट्टे के आधार पर अन्तरण कर विक्रय नहीं कर सकती हैं। जब निगराकार के पट्टे में दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता हैं, तो फिर विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता भूरा के नाम पर तथाकथित पट्टा किसी भी रूप में जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पट्टें में दक्षिण की तरफ निगराकार को पड़ौस बताते हुए फर्जी पट्टा जारी किया हैं, जो अपास्त होने योग्य होकर खारिज योग्य हैं। ग्राम पंचायत फियावडी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 11/09/1986 पट्टा संख्या 892 से असंतुष्ठ होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि निगराकार को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फियावडी द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प. फि/2018–19 दिनांक 19.06.2018 से अवगत कराया कि उपरोक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गयी। निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा बनाया गया पट्टा फर्जी एवं कुटरचित है। निगराकार को ग्राम पंचायत फियावड़ी से अन्दर आबादी हल्का में एक पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 02/11/1981 को जारी हुआ एवं पट्टे के वक्त ग्राम पंचायत फियावड़ी ने वादी को कब्जा/आधिपत्य सिपूर्द किया, तब से वादी मौके पर काबिज होकर रिहायशी मकान बनाकर उपयोग–उपभोग कर रहा हैं, जिसके पड़ौस पट्टेनुसार निम्न हैं कि–

पूर्व : नाजायज कब्जा परसा
पश्चिम : आम रास्ता
उत्तर : आम रास्ता
दक्षिण : पड़त जमीन एवं वर्तमान में गोपीलाल का मकान

उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड का नाम पूर्व 45 फिट, पश्चिम 45 फिट, उत्तर 30 फिट एवं दक्षिण 30 फिट होकर इसके अलावा रिहायशी गवाड़ी भी हैं। निगरानी याचिका के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड

को ग्राम पंचायत फियावड़ी ने विधि सम्यक प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 02/11/1981 को उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख का पट्टा निगराकार के नाम पर जारी किया। निगरानी याचिका में वर्णित भूखण्ड के उत्तर एवं पश्चिम की तरफ आम रास्ता आवंटन से पूर्व भी एवं वक्त आवंटन एवं वर्तमान में भी रास्ता मौजूद हैं। उक्त रास्ते को आमजन उपयोग–उपभोग करते आये हैं। यह कि उक्त भूखण्ड के संदर्भ में रेस्पोडण्ट्स द्वारा कब्जे, आधिपत्य, उपयोग–उपभोग वं निर्माण के संदर्भ में बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, अतिक्रमण कर दखलन्दाजी करने पर आमादा होने पर निगराकर ने उक्त पट्टे के आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, राजसमन्द में वाद निषेधात्मक निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का पेश किया, जिसके मुकदमा संख्या 27 सन् 2016 ई.दी. हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश, राजसमन्द में विपक्षी की तरफ से वादी के वाद के जवाब के साथ प्रतीप वाद एवं प्रतीप प्रार्थना–पत्र दिनांक 11/03/2016 को पेश किये, जिसमें अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त तथाकथित पट्टे के आधार पर यह अंकित किया कि तथाकथित पट्टा विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता के नाम पर ग्राम पंचायत फियावड़ी द्वारा दिनांक 11/09/1986 को पट्टा क्रमांक 892 के द्वारा जारी किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 से 08 के पिता भूरा की मृत्यु हो जाने से पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त तथाकथित पट्टे में पड़ौस निम्न प्रकार बताये :–

पूर्व : पड़त भूमि
पश्चिम : आम रास्ता
उत्तर : आम रास्ता
दक्षिण : गिरधारी बलाई अर्थात् निगराकार का भूखण्ड

उक्त पट्टे में भूखण्ड का माप पूर्व 20 फिट, पश्चिम 20 फिट, उत्तर 45 फिट एवं दक्षिण 45 फिट दर्शित किया गया एवं रेपोडेण्ट्स की तरफ से उक्त तथाकथित पट्टे को आधार बनाते हुए जवाबदेही की गयी हैं और यह भी अंकित किया हैं कि उक्त तथाकथित पट्टे की भूमि पर दिनांक 11/09/1986 से लेकर विपक्षी का कोई कब्जा, आधिपत्य नहीं रहा हैं एवं जवाबदेही व प्रतीप वाद में जरिये आदेशात्मक आज्ञा के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का दावा पेश किया हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि कोई भी संस्था, एजेन्सी, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत व अन्य कोई एजेन्सी रास्ते की भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय अन्तरण, हस्तान्तरण अथवा पट्टे के जरिये विक्रय नहीं कर सकती हैं। उक्त प्रकरण में निगराकार को ग्राम पंचायत फियावड़ी ने दिनांक 02/11/1981 को आबादी भूमि का पट्टा जारी करते हुए निगराकार के पट्टे के उत्तर दिशा की रास्ते का अंकन करते हुए निगराकार को पट्टा जारी किया हैं एवं वही ग्राम पंचायत जो विपक्षी संख्या 9 व 10 हैं, जिसके द्वारा तथाकथित पट्टा दिनांक 11/09/1986 पट्टा संख्या 892 में निगराकार के पट्टे में उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता बता रखा हैं, उस आम रास्ते में तथाकथित पट्टा विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता के नाम पर विपक्षी संख्या 9 व 10 द्वारा जारी करना बताकर पट्टा का उल्लेख किया हैं, जबकि रास्ते की भूमि में कोई भी संस्था अथवा ग्राम पंचायत अथवा स्वायत्त शासित संस्था किसी को भी पट्टे के आधार पर अन्तरण कर विक्रय नहीं कर सकती हैं। जब निगराकार के पट्टे में दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता हैं, तो फिर विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता भूरा के नाम पर तथाकथित पट्टा किसी भी रूप में जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पट्टें में दक्षिण की तरफ निगराकार को पड़ौस बताते हुए फर्जी पट्टा जारी किया हैं, जो अपास्त होने योग्य होकर खारिज योग्य हैं। इसलिए निगराकार को विवश होकर उक्त निगरानी याचिका पट्टा दिनांक 11/09/1986 पट्टा संख्या 892 जारी ग्राम पंचायत फियावड़ी को खारिज कर अवैध, शून्य घोषित कराने के लिए यह याचिका श्रीमान् की सेवा में पेश हैं। ग्राम पंचायत फियावड़ी द्वारा दिनांक 02/11/1981 को निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया, तो उक्त रास्ते की

भूमि को वही एजेन्सी दुबारा 1986 तथाकथित पट्टे के जरिये अन्य व्यक्ति को रास्ते की भूमि को विक्रय कर जरिये पट्टा अन्तरण कानूनन कर ही नहीं सकती, इसलिए भी विपक्षीगण के पिता के नाम पर जो पट्टा हैं, वो विधि विरूद्ध होकर अवैध व शून्य हैं और ग्राम पंचायत फियावड़ी ने बिना मौका तस्दीक किये अवैध रूपेण तथाकथित पट्टा जारी किया, वह विधि विरूद्ध होकर प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत फियावडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 892 दिनांक 11.09.1986 को अपास्त कर खारीज किया जावें।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि निगराकार ने तथ्यो को छुपाकर रिवीजन में गलत बाते लिखी हैं। गैरनिगराकार को जो ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 892 जारी किया है, वो पंचायत राज अधिनियम के तहत जारी किया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। सभी पटटेधारी अपने –2 सिक्यून्स से रह रहे है। केवल पडोस गलत बता रखे है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में दिनांक 02.11.1981 को जो पटटा निगराकार को जारी किया गया है। जारी किया गया पटटा अवैध एवं रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में वर्ष 1986 का रेकार्ड नहीं मिला है तो वर्ष 1981 का रेकार्ड कैसे मिल सकता है। निगराकार को जारी पटटा संख्या दिनांक 02.11.1981 निरस्त किया जाना उचित होगा। निगराकार की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फियावडी द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प.फि/2018–19 दिनांक 19.06.2018 से अवगत कराया कि उपरोक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। दस्तावेजो के अवलोकन पर यह स्पष्ट हैं कि पटटे में पडोस गलत दर्शाने से यह भ्रान्ति पैदा हुई है। निगराकार एवं गैरनिगराकार अपने–अपने पट्टे के अनुसार काबिज रहें। रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। ग्राम पंचायत फियावडी को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निगराकार की निगरानी याचिका खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द